



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19062026-273581
CG-UP-E-19062026-273581

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2986]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948

No. 2986]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 8 जून, 2026

का.आ. 3107(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम (1989 का 24) (जो यहाँ उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित है) की धारा 2 के खण्ड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख निचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित जिले के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य में “झाँसी मंडल: बीना – झाँसी रेल सेक्शन के समपार सं 328 कि. मी 1031/3-5 के एवज में रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण के संबंध में” एवं “झाँसी मंडल: बीना – झाँसी रेल सेक्शन के समपार सं 335 कि. मी 1058/30-32 (जखौरा स्टेशन के पास) के एवज में उपरिगामी सेतु के निर्माण के संबंध में “ के बाबत विशेष रेल परियोजना के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम आदि के अधीन ऐसे पदाधिकारी के रूप में भूमि अर्जन की कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
1	2	3
1	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ललितपुर/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर	ललितपुर

[ई – फा. सं. NCR फाइल नंबर NCR/GSU/16/2026-O/o DY.CE/RSW/GWL/HQ/NCR (कंप्यूटर नंबर 167462)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / आर.एस.पी.

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 8th June, 2026

S.O. 3107(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the functions as such authority for land acquisition under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special railway project of "Jhansi division: Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 328 at km 1031/3-5 in BINA-VGLJ section" and "Jhansi division: Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No. 335 at km 1058/30-32 near Jakhaura station in BINA - VGLJ section" in the state of Madhya Pradesh relating to District mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, management and operation of such railway project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	District
1	2	3
1	Additional District Magistrate (Judicial) Lalitpur / Special Land Acquisition Officer, Lalitpur	Lalitpur

[e- F. No. NCR File No. NCR -NCR/GSU/16/2026-O/o DY.CE/RSW/GWL/ HQ/NCR (Computer No. 167462)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer/ C/RSP